# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

**अपील संख्या :– 867/2024**

राजकुमार बसेठिया **–अपीलार्थी**

**बनाम**

1. राजस्थान राज्य जरिये अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन बल प्रमुख, राजस्थान, जयपुर।
3. उप वन संरक्षक, जैसलमेर।
4. श्री जगदीश राम विश्नोई, क्षेत्रीय वन अधिकारी प्रथम रेंज जैसलमेर, उप वन संरक्षक, जैसलमेर।

**–प्रत्यर्थीगण**

**प्रस्तुतिकरण की दिनांक** : 27.02.2024
**आदेश की दिनांक** : 24.09.2024

**उपस्थित –**
**अपीलार्थी की ओर से** : श्री राकेश कुमावत, अभिभाषक
**प्रत्यर्थी विभाग की ओर से** : डॉ. पुष्पेन्द्र पाल सिंह, राजकीय अधिवक्ता
**प्रत्यर्थी सं. 4 की ओर से** : श्री बी.बी.एल.शर्मा, अभिभाषक

**समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष**
**शुचि शर्मा, सदस्य**

## आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे और अपीलार्थी को कार्यमुक्त नहीं किया जावे। उसे क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वितीय के पद पर रेंज जैसलमेर उप वन संरक्षक, जैसलमेर में कार्य करने के निर्देश दिये जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार है :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वितीय के पद पर रेंज जैसलमेर उप वन संरक्षक, जैसलमेर में पदस्थापित है। अपीलार्थी का कथन है कि निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 श्री जगदीश राम विश्नोई जो क्षेत्रीय वन अधिकारी प्रथम है। उनका पदस्थापन रेंज जैसलमेर उप वन संरक्षक जैसलमेर में किया गया है। जहां पर अपीलार्थी कार्यरत है और इस प्रकार निजी प्रत्यर्थी का स्थानांतरण अपीलार्थी के स्थान पर किया गया है। जबकि अपीलार्थी का स्थानांतरण अन्यत्र कहीं नहीं किया गया है, जिससे निजी प्रत्यर्थी के पदस्थापन से अपीलार्थी का पदस्थापन प्रभावित होगा, क्योंकि उक्त रेंज में अपीलार्थी के लिये कोई रिक्त पद नहीं है और इस प्रकार निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 का पदस्थापन बिना विवेक का प्रयोग किये किया गया है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे और अपीलार्थी को निरंतर यथा स्थान सेवायें देने हेतु आदेशित किया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुये बहस की है कि आदेश दिनांक 20.02.2024 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वितीय रेंज सुमेरपुर पाली से रेंज जैसलमेर उप वन संरक्षक, जैसलमेर में किया गया है, जिसकी पालना में अपीलार्थी ने कार्यग्रहण कर लिया और आदेश दिनांक 22.02.2024 के द्वारा निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को क्षेत्रीय वन अधिकारी प्रथम के पद पर रेंज जैसलमेर, उप वन संरक्षक, जैसलमेर किया गया है, जो नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील का जवाब प्रस्तुत करते हुये बहस की है कि अपीलार्थी क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वितीय के पद पर रेंज जैसलमेर उप वन सरंक्षक, जैसलमेर में कार्यरत है और निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 क्षेत्रीय वन अधिकारी प्रथम का पद धारित करता है। इस प्रकार दोनो ही कार्मिक अलग–अलग पद पर धारित करते हैं, जो वरिष्ठता आदेश अनुलग्नक–6 से प्रकट होता है। अतः अपीलार्थी एवं निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 के बीच कोई विवाद उत्पन्न नहीं होता है। इस प्रकार दोनों कार्मिकों के अलग–अलग पद धारित करते हैं। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी वर्तमान में क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वितीय के पद पर रेंज जैसलमेर उप वन संरक्षक, जैसलमेर में पदस्थापित है। जहां तक अपीलार्थी के स्थान पर निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को पदस्थापित किये जाने का प्रश्न है, अनुलग्नक–6 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वितीय के पद पर कार्यरत है और निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 क्षेत्रीय वन अधिकारी प्रथम के पद पर पद धारित है। आलोच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को स्थानान्तरित किये बिना निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को क्षेत्रीय वन अधिकारी प्रथम के पद पर पदस्थापित किया गया है। इस प्रकार हमारे मत में पदस्थापन/स्थानान्तरण से अपीलार्थी का प्रभावित होना संभव नहीं है क्योकि दोनो ही अलग–अलग पद धारित करते हैं। अधिकरण द्वारा दिनांक 13.03.2024 को अंतरिम आदेश पारित किया गया था, जिसमें यह आदेश दिया गया था कि विवादग्रस्त आदेश दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक–1) की पालना में अपीलार्थी को कार्यमुक्त नहीं किया जावे। चूंकि अपीलार्थी एवं निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 दोनों अलग–अलग पद धारित करते हैं। ऐसे में प्रत्यर्थी विभाग को यह आदेश दिया जाता है कि निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 के पदस्थापन/स्थानांतरण आदेश दिनांक 22.02.2024 के द्वारा अपीलार्थी का पदस्थापन प्रभावित नहीं किया जाये। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि भविष्य में प्रत्यर्थी विभाग प्रशासनिक दृष्टि से आवश्यक होने पर अपीलार्थी का स्थानांतरण करने के लिये स्वतंत्र रहेंगे और उसमें यह आदेश बाधक नहीं होगा। इस आदेश के साथ इस अपील का निस्तारण किया जाता है। अधिकरण द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 13.03.2024 की पुष्टि (confirm) की जाती है।

**(शुचि शर्मा)**
**सदस्य**

**(विकास सीतारामजी भाले)**
**अध्यक्ष**